संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A3-53/2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

3 JUL 2018

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : ~~जून~~, 2018

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता / सम्बद्धता / 61 दिनांक 26.04.2018 पर कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत, अल्मोड़ा।	1. **एम0कॉम0**	60 सीट	सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
		2. **एम0एस–सी0** (जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान)	प्रत्येक विषय में 20–20 सीट	

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा सम्बन्धित संस्थान / महाविद्यालय में मानकों के अनुरुप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी एवं कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
2. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान में मानकानुसार पूर्ण फैकल्टी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
4. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 1224 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A3-53/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव / अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भाबर, पौड़ी गढ़वाल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।